

**फर्द अहकाम**  
**कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द**

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड रजिस्टर्ड पता 102, कंचन अपार्टमेंट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर - 302004, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री यादवेन्द्र सिंह

- प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री भरतसिंह पुत्र श्री भूरसिंह , निवासी 167, देवगढ, वार्ड नं0 9, बल्लो की हताई, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द, राज0 313331  
(ऋणी)
2. श्री भूरसिंह पुत्र श्री खुमानसिंह , निवासी 167, देवगढ, वार्ड नं0 9, बल्लो की हताई, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द, राज0 313331  
(सहऋणी व बंधककर्ता )
3. श्रीमती बरज कंवर पत्नी श्री भरतसिंह, निवासी 167, देवगढ, वार्ड नं0 9, बल्लो की हताई, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द, राज0 313331  
(सहऋणी व बंधककर्ता )
4. श्री नारायणसिंह पुत्र श्री शम्भु सिंह निवासी वार्ड नं0 5, बस स्टेशन के पास, कुन्ठल, तहसील- देवगढ, जिला राजसमन्द, राज0 313332

(जमानती )

-अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 08 / 2020

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 05.03.2020</p> <p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर ने दिनांक: 06.02.2020 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रार्थी कम्पनी को भारत के राजपत्र मे दिनांक 24.10.2018 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उप धारा (1) के खण्ड (ड) के उप खंड (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शामिल किया गया।</p> <p>अप्रार्थी को वित्तीय संस्था ने खाता संख्या 66912, दिनांक</p>	



M

25/09/2017 को रूपये 6,00,000/- रूपये शब्देन छः लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान सिक्क्योरिटी के रूप में अपनी निम्न अचल सम्पत्ति को प्रार्थी के पास रहन किया और उस पर निर्मित मकान को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया। उक्त सम्पत्ति का विवरण नीचे वर्णित हैं। बंधक सम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार है:- श्री भूरसिंह पुत्र श्री खुमानसिंह, निवासी 167, देवगढ, वार्ड नं0 9, बल्लो की हताई, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढाचों आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसका माप 1435.54 वर्ग फिट (133.53 वर्ग मीटर) है। जिसकी चतुःसीमाएँ :- पूर्व :- मूलसिंह का मकान, पश्चिम :- बहादुर सिंह का मकान, उत्तर :- मूलसिंह का मकान, दक्षिण :- आम रास्ता। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर 04.01.2019 अप्रार्थीगण के खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया हैं। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया रूपये 5,33,087/- अक्षरे रूपये पांच लाख तैतीस हजार सत्यासी मात्र दिनांक 22.10.2019 तक व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांकित 01/11/2019 अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये और जिसकी प्राप्ति के बाद भी उन्होंने देय राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं किया। अप्रार्थीगण ने धारा 13(2) के नोटिस के प्राप्त हो जाने व नोटिस में वर्णित अवधि में देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं किया है। इस उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी वित्तीय संस्था उक्त अनुसूची में वर्णित सिक्क्यूरिटी रहनबंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है।

दिनांक-16, अगस्त, 2016 को भारत का राजपत्र असाधारण भाग-।।-खण्ड- 1-संख्या-51 के तहत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में संशोधन किए गए हैं, उक्त संशोधित एक्ट की धारा सेक्शन-12 जो कि निम्न प्रकार से है:-

Sec-12 In the principal Act, in section 14, in sub-section (1),-

1. in the second proviso, after the words "secured assets", the words "within a period of thirty days from the date of application" shall be inserted;
2. after the second proviso, the following proviso shall be inserted, manely:-



M

"Provided further that if no order is passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thirty days for reasons beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days."

उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कॉलम संख्या 3 में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। जिसके अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन की दिनांक से 30 दिनों के अन्दर आदेश पारित करना है, यदि कोई आदेश 30 दिनों के अन्दर पारित नहीं किया जाता है तो विलम्ब के लिए कारण दर्ज करने के पश्चात आदेश 60 दिनों के अन्दर दिया जावेगा यह संशोधन भारत के राजपत्र में दिनांक 16.08.2016 को प्रकाशित किया गया है। शपथ-पत्र में वर्णितानुसार इस सम्पत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधिकरण के द्वारा कोई रोक नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता है विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 01.11.19 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी।

आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार है:- श्री भूरसिंह पुत्र श्री खुमानसिंह, निवासी 167, देवगढ, वार्ड नं0 9, बल्लो की हताई, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं



87

ढाचों आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसका माप 1435.54 वर्ग फिट (133.53 वर्ग मीटर) है। जिसकी चतुः सीमाएँ :- पूर्व :- मूलसिंह का मकान, पश्चिम :- बहादुर सिंह का मकान, उत्तर :- मूलसिंह का मकान, दक्षिण :- आम रास्ता।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं० से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
जिला मजिस्ट्रेट  
राजसमन्द

